न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 14/2018

प्रार्थी :– जोगाराम पुत्र श्री प्रतापराम, जाति जाट, निवासी सोगावास, तहसील मेड़ता जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. केशाराम पुत्र श्री थानाराम, जाति जाट, निवासी सोगावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
2. शंकरलाल पुत्र श्री भभूतराम, जाति जाट निवासी सोगावास तहसील मेड़ता जिला नागौर।
3. तहसीलदार मेड़ता।
4. पटवारी हल्का, सोगावास।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 13.08.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सोगावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1009/233 रकबा 1.83 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की काश्त व कब्जासुद व खातेदारी की जमीन आयी हुई है। प्रार्थी की उक्त जमीन को संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। संलग्न नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। खतौनी नकल व ट्रेस नक्शा साथ में पेश है। प्रार्थी के उक्त भूमि खेत के पूर्वी तरफ चिपते ही खसरा नम्बर 234 रकबा 2.61 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद आयी हुई है तथा खसरा नम्बर 234 के पूरवी तरफ खसरा नम्बर 235 रकबा 3.11 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की आयी हुई है तथा खसरा नम्बर 235 के पूरवी तरफ रास्ता ग्राम

उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

सोगावास से खेड़ूली जाने वाला आया हुआ है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1009/233 में आने–जाने व ट्रेक्टर, छकड़ा, हल, बैल आदि ले जाने के लिए ग्राम सोगावास से खेड़ूली जाने वाले कट्टानी रास्ता फंटकर खसरा नम्बर 234 व 235 की उत्तरी माठों के सहारे–सहारे रास्ता आया हुआ है। जिस रास्ता को संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी दर्शाया गया है। उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के सदस्य अपने खेत खसरा नम्बर 1009/233 में आने–जाने हेतु करते आ रहे है। जो कदीम से करते आ रहे है। यह है कि संलग्न नजरी नक्शा में बताये मार्क ए, बी, सी, डी रास्ता पीढियों से चला आ रहा है। प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार इस रास्ता से बिना किसी रोकटोक के अपनी ढाणी में आने–जाने, पशु लाने ले जाने, हल, बैल, मवेशी, मजदूर, ट्रेक्टर, ट्रोली इत्यादि लाने ले जाने आदि के उपयोग व उपयोग में लेते आ रहे है। उक्त रास्ता पीढियों से खसरा नम्बर 235 में खड़े विद्युत पोल को छोड़कर 20 फुट चौड़ा लम्बा चला आ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 संलग्न नजरी नक्शा में बताये मार्क ए, बी, सी, डी रास्ता को मार्क ए, बी स्थान पर खंदक लगाकर बंद करने पर आमादा है तथा प्रार्थी के आने–जाने में बाधा उत्पन्न कर रहे है जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई हक व कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो प्रार्थी के हक व अधिकारों पर भारी कुठराघात होगा तथा प्रार्थी अपने खेत में आने–जाने व काश्त करने से महरूम हो जायेगा तथा प्रार्थी अपने रास्ता के उपयोग व उपभोग से वंचित हो जायेगा। उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत में आने–जाने का एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। वादग्रस्त रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी रास्ता ही प्रार्थी के खेत में आने–जाने का सबसे सरल, नजदीक व सुगम रास्ता है। सो प्रार्थी उक्त रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से अपने

उपखण्ड अधिकारी,
खेतड़ी (झुं.)

खेत में आने--जाने हेतु मार्क ए, बी, सी, डी 20 फुट चौड़े रास्ते की भूमि प्रार्थी को देने हेतु निवेदन किया व इसकी राशि भी चुकाने को तत्पर रहे लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थी को रास्ता की भूमि नही दे रहे है। प्रार्थी रास्ता की भूमि की कीमत की राशि नियमानुसार न्यायालय में जमा करवाने को तैयार है। विवादित रास्ता मौजा सोगावास की सरहद में होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खेत खसरा नम्बर 1009/233 में आने–जाने व ट्रेक्टर, छकड़ा, हल, बैल, आदि ले जाने के लिए ग्राम सोगावास से खेड़ूली जाने वाले कट्टाणी रास्ता फंटकर खसरा नम्बर 234 व 235 की उत्तरी माठों के सहारे–सहारे संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए, बी, सी, डी 20 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नम्बर 235 की उत्तरी माठ पर खड़े विद्युत पोल को छोड़कर बएवज कीमत दिलवाया जावें व राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जाकर तरमीम किया जावें।

2. प्रार्थी ने अपने पक्ष समर्थन में नकल जमाबंदी मौजा ग्राम सोगावास सम्वत् 2072 से 2075, खाता संख्या 86, 35, 159, नक्शा ट्रेस की प्रतियां पेश की।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने से दिनांक 27.04.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री महिपाल चौधरी ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया।

4. अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में लिखा है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 का जवाब है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है, वह बिल्कूल गलत है तथा मौके की स्थिति को छुपांते हुए गलत नक्शा पेश किया है। अप्रार्थी जवाबदेहिन्दा मौके की सही स्थिति का वर्तमान ट्रेस नक्शा जवाब के साथ प्रस्तुत कर रहा है,

उपखण्ड अधिकारी,
खेतड़ी (झुं.)

Scanned by CamScanner

जो जवाब का भाग है। जिससे श्रीमान को मौके की सही स्थिति का ज्ञान हो जायेगा, बकाया पैरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 के जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 3 में लिखे तथ्य पूर्ण रूप से गलत है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1009/233 में आने-जाने व ट्रेक्टर, छकड़ा, हल बैल आदि लाने ले जाने हेतु खसरा नम्बर 234 व 235 में कोई रास्ता नही है। खसरा नम्बर 235 की उत्तरी माठ के सहारे-सहारे कोई रास्ता मौजूद नही है, न ही कभी था। प्रार्थी के खेत में आने-जाने हेतु प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1009/233 के उत्तरी तरफ माठ के सहारे-सहारे खसरा नम्बर 217 व उसके आगे खसरा नम्बर 216 की दक्षिणी माठ के सहारे-सहारे रास्ता आया हुआ है, जो रास्ता राजस्व रेकर्ड में भी खसरा नम्बर 1000/217 व 997/216 के रूप में दर्ज है, जिस रास्ते से प्रार्थी अपने खेत में आसानी से आ-जा सकता है व प्रार्थी इसी रास्ते से अपने खेत में आता-जाता रहा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ झुठा नजरी नक्शा बनाकर मार्क ए, बी, सी, डी से गलत रास्ता दर्शित किया है, जो नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का भाग नही हो सकता। जिस नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र के साथ कतई नही पढा जा सकता। प्रार्थी का यह लिखना भी गलत है कि अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर नम्बर 235 व अप्रार्थी केशाराम के खेत खसरा नम्बर 234 की उत्तरी माठ के सहारे-सहारे रास्ता चलता हो। बकाया पैरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 4 में लिखे तथ्य पूर्ण रूप से गलत है। संलग्न नजरी नक्शा में बताया मार्क ए, बी, सी, डी रास्ता ना तो मौके पर मौजूद है और न ही प्रार्थी ने इस रास्ता को कभी काम में लिया है। जब रास्ता मौके पर नजरी नक्शा में बताये अनुसार है ही नही तो काम में लेने का प्रश्न ही पैदा नही होता बकाया पैरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 5 में लिखे तथ्य पूर्ण रूप से गलत है। जब मौके पर कोई रास्ता कभी था ही नही तो

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

रास्ता को बंद कराने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता, न ही अप्रार्थी जवाबदेहिन्दा ने मार्क ए, बी पर खंदक डालकर कोई रास्ता बंद किया। मार्क ए, बी अप्रार्थी जवाबदेहिन्दा की पुरानी खंदक डाली हुई है। मौके पर आज दिन कोई रास्ता मौजूद नही है। जब मौके पर कोई रास्ता है ही नही तो उसमें बाधा डालने का प्रश्न ही पैदा नही होता। अप्रार्थी जवाबदेहिन्दा के इरादे कोई नापाक नही है। इरादे तो प्रार्थी के नापाक है, जो अपने खेत की उत्तरी माठ के चिपते ही रास्ता मौजूद होते हुए भी अप्रार्थी जवाबदेहिन्दा के खेत खसरा नम्बर 235 में जबरन रास्ते की मांग कर रहा है। अप्रार्थी जवाबदेहिन्दा के खेत में कोई रास्ता मौजूद नही है, न ही कभी रहा। ऐसी कोई रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नही हुई है, जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 234 व 235 की उत्तरी माठ के सहारे–सहारे कोई रास्ता चलता हो बल्कि आर.आई. मेड़ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 216 व 217 की दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे चालू है और उस रास्ते के अलग से खसरा नम्बर भी दर्शित है, जो नक्शे में तरमीमसुदा है और आर.आई व तहसीलदार मेड़ता ने रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी को चाहा गया रास्ता देना उचित नही है, क्योंकि प्रार्थी के खेत में आने–जाने हेतु वर्तमान में रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है व मौके पर चालू है। जिससे प्रार्थी अपने खेत में अपने पशु, ट्रेक्टर, छकड़ा, बैल आसानी से आता व लेता है व अपने खेत में खेती करता है व अपनी भूमि का आराम से उपयोग व उपभोग करता है। प्रार्थी का यह लिखना पूर्ण रूप से गलत है कि खसरा नम्बर 234 व 235 में दर्शाये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही हो। बकाया पैरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 6 में दर्ज तथ्य पूर्ण रूप से गलत है। प्रार्थी के खेत में आने–जाने हेतु मौके पर रास्ता मौजूद है, जिसकी मौका रिपोर्ट भी तहसीलदार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जा

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

चुकी है तथा राजस्व रेकर्ड में भी प्रार्थी के खेत की उत्तरी माठ के सहारे–सहारे तरमीमसुदा रास्ता दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खेत में से रास्ता दिया जाना कतई न्यायोचित नही है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 का जवाब है कि जब प्रार्थी के खेत में आने–जाने का रास्ता मौके पर मौजूद है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को रास्ता दिया जाना व उसकी राशि न्यायालय में जमा करवायी जाना कतई न्यायोचित नही है। बकाया पैरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 8 व 9 कानूनी है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने मजीद उजरात में लिखा है कि आर.आई. मेड़ता द्वारा तैयार व तहसीलदार मेड़ता द्वारा मय अभिशंषा रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 216 व 217 की दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे चालू है और उस रास्ते के अलग से खसरा नम्बर भी दर्शित है, जो नक्शे में तरमीमसुदा है और आर.आई. व तहसीलदार मेड़ता ने रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी को चाहा गया रास्ता देना उचित नही है, क्योंकि प्रार्थी के खेत में आने–जाने हेतु वर्तमान में रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और मौके पर चालू है। जिससे प्रार्थी अपने पशु, ट्रेक्टर, छकड़ा, बैल आसानी से लाता व लेता है व अपने खेत में खेती करता है। जिससे प्रार्थी, अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खेतों में से किसी प्रकार का रास्ता कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है क्योंकि धारा 251–ए राज. काश्तकारी अधिनियम में यदि किसी खातेदार के खेत में जाने हेतु रास्ता नही हो तो ही उक्त धारा लागू होती है। मगर प्रार्थी का प्रकरण धारा 251–ए राज. काश्तकारी अधिनियम की परिधि में कवर नही होता है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। प्रार्थी ने अप्रार्थी जवाबदेहिन्दा को बिना वजह तंग व परेशान किया है। जिससे प्रार्थी जवाबदेहिन्दा प्रार्थी को मानसिक व आर्थिक क्षति हुई है। जिससे प्रार्थी जवाबदेहिन्दा विशेष क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थी से प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः जवाब

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा व हर्जा किया जावें।

5. अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार भू.अ. मेड़ता ने पत्रांक/भू.अ./251–ए/2018/1948 दिनांक 22.03.2018 द्वारा भू.अ. मेड़ता की रिपोर्ट मय अभिशंषा के भिजवायी है जिसमें लिखा है कि ग्राम सोगावास में खसरा नम्बर 1009/233 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 234, 235 में रास्ता चाहा है, रिपोर्ट निम्नानुसार है (1) ग्राम सोगवास के खसरा नम्बर 1009/233 में आने जाने के लिये मांगे रास्ता के संबंध में निवेदन है कि उक्त खसरे में आने जाने के लिये इसी खसरा की उत्तरी दिशा में खेड़ूली सड़क से खसरा नम्बर 216 में से खसरा नम्बर 997/216, खसरा नम्बर 217 में से खसरा नम्बर 999/217 में से वर्तमान में रास्ता चल रहा है, जो नक्शे में तरमीमसुदा है। यह निकटतम रास्ता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता दिया जाना उचित नही है।

6. प्रार्थी ने उपरोक्त अनुवान के प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपने खेत खसरा नम्बर 1009/233 में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 234 व 235 में से रास्ते की मांग की, जिस पर आर.आई. मेड़ता व तहसीलदार के मार्फत से श्रीमानजी से न्यायालय में रिपोर्ट पेश की गई कि प्रार्थी के द्वारा रास्ते की मांग की गई खेतों की उत्तरी दिशा में खेड़ूली सड़क से खसरा नम्बर 216 में से खसरा नम्बर 997/216, खसरा नम्बर 217 में से 999/217 में से वर्तमान में रास्ता चल रहा है, जो नक्शे में तरमीमसुदा है, यह निकटतम रास्ता है, मगर उक्त खसरा नम्बर 216 में से खसरा नम्बर 997/216 के खातेदारान के स्वयं के रास्ते हेतु खरीदसुदा होने से व रास्ते की खातेदारी हापुदेवी पत्नी कबूराम, रूपाराम पुत्र श्री रामदीन, घेवरराम पुत्र रामदीन, हमीरराम पुत्र जस्साराम, लक्ष्मीदेवी पत्नी मांगुराम, जातियान–जाट, निवासीगण सोगावास व खसरा नम्बर

1000/217 रकबा 0.0800 हैक्टेयर(दक्षिणी) लक्ष्मीदेवी पत्नी मांगुराम, हमीरराम पुत्र जस्साराम, जसकी पत्नी रूपाराम, शांति पत्नी घेवरराम, जातियान जाट, निवासीगण सोगावास की खातेदारी का आया हुआ है। उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता नही होने से, उक्त खेत के खातेदारान प्रार्थी को उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग करने नही देते है, उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जावें व राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक रास्ते के रूप में तरमीम किया जावें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1009/233 में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 234 व 235 में से उत्तरी माठ के सहारे–सहारे 20 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किया जावें व वैकल्पिक तौर पर आर.आई. मेड़ता व तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट के आधार पर तरमीमसुदा रास्ता जो खेत खसरा नम्बर 997/216 व खसरा नम्बर 1000/217 रकबा 0.0800 हैक्टेयर(दक्षिणी) है, जिस रास्ते को प्रार्थी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ता घोषित किया जावें व प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग व उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नही करे तथा उक्त्स रास्ता सरकारी रेकर्ड में सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जावें।

7. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता बाबत जो तहसीलदार मेड़ता ने अपनी रिपोर्ट प्रार्थी को खसरा नम्बर 1009/233 में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 234 व 235 में रास्ता की मांग की है, परन्तु मांगे गये रास्ते के संबंध में लिखा कि इसी खसरे आने–जाने के लिये इसी खसरा की उत्तरी दिशा खेडूली सड़क से खसरा नम्बर 216 में से 997/216 व 217 में से 999/217 में वर्तमान में रास्ता चल रहा है, जो नक्शे तरमीमसुदा तथा निकटतम है। अतः प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता उचित नही है। अतः वैकल्पिक रास्ता के रूप में प्रार्थी को खसरा नम्बर 997/216, 1000/217 में से सार्वजनिक रास्ता घोषित

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

कर प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग व उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नही करे, के आदेश प्रदान करावें।

8. वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट में प्रार्थी के खसरा नम्बर 1009/233 में आने–जाने हेतु इसी खसरा की उत्तरी दिशा में खेडूली सड़क से खसरा नम्बर 216 में से खसरा नम्बर 997/216, खसरा नम्बर 217 में से 999/217 में से वर्तमान में रास्ता चल रहा है, जो नक्शे में तरमीमसुदा तथा निकटतम रास्ता है। अतः रेकेर्डड रास्ता होने से तथा प्रार्थी रास्ते से आता–जाता है अतः तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

9. पत्रावली का अवलोकन किया गया विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को खसरा नम्बर 1009/233 में आने जाने हेतु इसी खसरा की उत्तरी दिशा में खेडूली सड़क से खसरा नम्बर 216 में से खसरा नम्बर 997/216, खसरा नम्बर 217 में से 999/217 में से वर्तमान में रास्ता चल रहा है, जो नक्शे में तरमीमसुदा तथा निकटतम रास्ता है। इस प्रकार प्रार्थी के निकटतम रास्ता पूर्व में ही रेर्कडेड रास्ता है। ऐसी स्थिति में नया रास्ता घोषित करने का कोई औचित्य नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जहां तक वैकल्पिक रास्ते का संबंध है तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट में प्रार्थी के खसरा नम्बर 1009/233 में आने–जाने हेतु इसी खसरा की उत्तरी दिशा में खेडूली सड़क से खसरा नम्बर 216 में से खसरा नम्बर 997/216, खसरा नम्बर 217 में से 999/217 में से वर्तमान में रास्ता चल रहा है, जो नक्शे में तरमीमसुदा तथा निकटतम रास्ता है। अतः प्रार्थी उक्त रेर्कडेड तरमीमसुदा रास्ता का उपयोग व उपभोग कर सकता है। यदि उक्त खसरान के खातेदारों द्वारा प्रार्थी को रोका जाता है तो प्रार्थी उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (ग्रा.)

Scanned by CamScanner

खेतों के खातेदारों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है।

आदेश

10.तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जहां तक वैकल्पिक रास्ते का संबंध है तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट में प्रार्थी के खसरा नम्बर 1009/233 में आने–जाने हेतु इसी खसरा की उत्तरी दिशा में खेड़ूली सड़क से खसरा नम्बर 216 में से खसरा नम्बर 997/216, खसरा नम्बर 217 में से 999/217 में से वर्तमान में रास्ता चल रहा है, जो नक्शे में तरमीमसुदा तथा निकटतम रास्ता है। अतः प्रार्थी उक्त रेर्कडेड तरमीमसुदा रास्ता का उपयोग व उपभोग कर सकता है। यदि उक्त खसरान के खातेदारों द्वारा प्रार्थी को रोका जाता है तो प्रार्थी उपरोक्त खेतों के खातेदारों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.8.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.8.18

हीरालाल मीना

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

मेड़ता (ग्रा.)

मेड़ता

Scanned by CamScanner